

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: नवम्बर 08, 2011

:-आदेश :-

मुख्यालय के आदेश संख्या-चेकपोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था-0910045/ वाणिज्य कर , दिनांक 28-08-2009 से 30 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की अनुसूची -I में घोषित करमुक्त माल के अतिरिक्त समस्त करयोग्य माल को उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तर प्रदेश के अन्दर लाने के लिये निर्धारित फार्म-38 (आयात हेतु घोषणा पत्र) को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करने के संबंध में यह व्यवस्था की गयी थी कि पंजीयन की तिथि से एक वर्ष तक के नये पंजीकृत व्यापारियों तथा 30 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम -2008 की धारा-19(3) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नकद प्रतिभूति जमा करके फार्म-38 प्राप्त करने वाले आयरन एण्ड स्टील तथा कोयले के व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यापारियों को करयोग्य माल के आयात हेतु विभागीय वेबसाइट <http://comtax.up.nic.in> से फार्म-38 डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा प्रतिबन्धित श्रेणी के उक्त व्यापारियों को पूर्व की भाँति एडवान्स टैक्स जमा करने के बाद ही फार्म-38 मैनुअली कर निर्धारण कार्यालय से जारी किये जायेंगे।

2- वर्तमान में आयरन एण्ड स्टील तथा कोयले के अतिरिक्त रोड़ी / गिट्टी/ मौरंग / बालू / रेता / पटिया / पत्थर / बदरपुर / खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर) तथा रिफाइनड आयल एवं वनस्पति घी के व्यापारियों के लिए भी 30 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा-19(3) के अन्तर्गत अग्रिम कर जमा कराकर आयात घोषणा पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था लागू है। अतः इन वस्तुओं के व्यापारियों को भी विभागीय वेबसाइट से फार्म-38 डाउनलोड करने की सुविधा से विरत किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था जिसे शासन द्वारा पत्र संख्या-क0नि0-451/ ग्यारह - 2-2011-9(207)/ 09 दिनांक 13-04-11 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

3- शासन से प्राप्त उक्त अनुमोदन के क्रम में समय समय पर संशोधित मुख्यालय के उक्त आदेश संख्या-चेकपोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था-0910045/ वाणिज्य कर , दिनांक 28-08-2009 अग्रेतर संशोधन करते हुये निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

पंजीयन की तिथि से एक वर्ष तक के नये पंजीकृत व्यापारियों को तथा 30 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-19 (3) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नकद प्रतिभूति जमा करके फार्म-38 प्राप्त करने वाले आयरन एण्ड स्टील एवं कोयले के व्यापारियों के अतिरिक्त रोड़ी , गिट्टी, मौरंग , बालू/रेता , पटिया / पत्थर, बदरपुर , खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर), रिफाइनड आयल एवं वनस्पति घी के व्यापारियों के लिये भी वेब आधारित फार्म-38 प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे व्यापारियों को एडवान्स टैक्स जमा करने के बाद ही फार्म-38 मैनुअली कर निर्धारण कार्यालय से जारी किये जायेंगे।

4- यह आदेश दिनांक 11-11-11 की रात्रि 12:00 बजे से प्रभावी होंगे।

5- रोड़ी , गिट्टी, मौरंग , बालू/रेता , पटिया / पत्थर, बदरपुर , खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर), रिफाइनड आयल एवं वनस्पति घी के व्यापारियों द्वारा यदि उक्त तिथि के पूर्व वेबसाइट से कोई फार्म-38 डाउनलोड कर रखा गया है, जो अप्रयुक्त है, तो वह ऐसे सभी फार्मों से आयात की जाने वाली वस्तु के लिये दिनांक 18-11-11 तक निर्धारित अग्रिम जमानत जमा करके सभी फार्मों पर कर निर्धारण अधिकारी से जमानत जमा करने से संबंधित आवश्यक विवरण , जो कार्यालय से मैनुअली फार्म-38 जारी करने की दशा में अंकित किए जाते हैं , अंकित करवा लेंगे परन्तु यदि इस अवधि में कोई माल ट्रांजिट में रहने के कारण फार्म पर जमानत जमा करने का अंकन कराना संभव नहीं है , तो जमानत का अंकन न होने के आधार पर ऐसे मामलों में व्यापारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

6- समस्त कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यापारियों, जिन्हें वर्तमान में रोड़ी , गिट्टी, मौरंग , बालू/रेता , पटिया / पत्थर, बदरपुर , खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर) रिफाइनड आयल एवं वनस्पति घी के आयात हेतु फार्म 38 के आनलाइन डाउनलोड की सुविधा प्राप्त है , को चिन्हित करते हुये उनको आनलाइन डाउनलोड की प्रदत्त सुविधा वेबसाइट पर

समाप्त करने की कार्यवाही भी उक्त तिथि तक पूर्ण करेंगे तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी अपने ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराएंगे।

आदेश संख्या-चेकपोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था-0910045/ वाणिज्य कर दिनांक 28-08-09 में वर्णित एवं इसमें यथासमय किए गये संशोधन यथावत प्रभावी रहेंगे।

ह0/

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश , लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग, अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-क0नि0-451/ ग्यारह -2-2011-9(207)/ 09 दिनांक 13-04-11 के संदर्भ में।
3. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
4. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष / निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0
6. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
7. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 डिप्ट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
10. विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
11. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
12. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
14. मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।
15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्डो 4/180, विशाल खएड, पी0वी0-17, गोमती नगर, लखनऊ
16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडो 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंडो, ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
18. आल इंडिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंडो एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
20. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से।
21. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
22. शिव कुमार रोडा, एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
23. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद।
24. श्रीमती इन्दु मिश्रा , इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद।

25. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30 प्रशासन , 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
26. प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
27. प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
28. श्री बी० एन० राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी० टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी , सिगरा, वाराणसी ।
29. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी ।
30. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन०के० जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
31. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर ।
32. श्री ब्रित चावला, महासचिव (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30 प्र० ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि०), पुलदाल मंडी , सहारनपुर
33. श्री आर० डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
34. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
35. इन्डियन इंड० एसो० , 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
36. संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो० वेस्टर्न यू०पी० (रजि०) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
37. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशियल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा ।
38. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 50-बी, उद्योग नगर, कानपुर
39. श्री अनिल कुमार बंसल, दि० यू०पी० रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो०-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
40. श्री दिनेश अरोरा, 30 प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो०, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर ।
41. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, 30 प्र० टेट व्यापार एसो० 565/566, राजेन्द्र नगर , लखनऊ ।
42. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी०) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
43. श्री गोपाल अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।
44. श्री दिनेश चन्द्र, उपाध्यक्ष, 30 प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी० एन० रोड, अमीनाबाद, लखनऊ ।
45. अध्यक्ष, आई० आई० ए० इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ ।
46. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
47. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी०) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
48. समस्त अनुभाग / अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय-लखनऊ ।
49. सचलदल अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।

(एम०के० श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिशनर (सचलदल) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

